संख्या-36/2020/874/86-2020-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 12 जून, 2020

विषयः प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत बालू/मोरम खनन पट्टों के संचालन के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं0-720/86-2020-14(सामान्य)/2020 दिनाँक 11.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा इस आशय के निर्देश निर्गत किये गये हैं कि बालू/मोरम के खनन पट्टाधारकों से माह मई-2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम रूप से जमा की जायेगी तथा जमा धनराशि को माह मई 2020 की देय किश्त में समायोजित करते हुए अन्तर धनराशि को माह जून 2020 की अग्रिम किश्त में जमा कराया जाना तथा पट्टा अन्तर्गत दिनांक 31.03.2020 तक की समस्त किश्तों का भुगतान 31.05.2020 तक किया जाना होगा। बालू/मोरम के खनन पट्टों पर देय धनराशि को दिनांक-01.06.2020 से पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्त का आनलाईन भुगतान किये जाने का निर्देश शासनादेश सं0-789/86- 2020-41(सा0)/2019 दिनांक 28.05.2020 द्वारा दिया गया है।

2. उक्त के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय पट्टाधारक माह जून-2020 की किश्त आनलाईन जमा कराकर खनन पट्टा का संचालन कर रहे हैं, जबकि उनकी त्रैमास जुलाई, अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 में देय किश्त की धनराशि तथा माह मई 2020 की देय किश्त की धनराशि बकाया है। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विकास कार्यों एवं आम जनमानस को खनिजों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु अधिक संख्या में खदानें संचालित रखने की आवश्यकता है।

3. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बालू/मौरम के खनन पट्टों के संचालन एवं देय किश्तों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही करने का कष्ट करेः-

(क) वर्ष 2019 के त्रैमास जुलाई व अक्टूबर की बकाया धनराशि तत्काल जमा कराया जाय तथा बकाया धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में खनन संक्रिया को प्रतिबन्धित कर दिया जाय।

(ख) त्रैमास जनवरी, 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम् दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराया जाय।

(ग) माह मई, 2020 में जमा धनराशि को माह मई, 2020 की देय किश्त में समायोजित करते हुये अन्तर धनराशि को जून, 2020 तक जमा कराया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

संख्याः 874(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-314/ एम0-228/2017 खनन नीति (कोविड)/(पअ) दिनांक 09.06.2020 के सन्दर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in